(2)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	130/2018 मुकेश / नानूराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26-02-18	225 अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करे। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के पश्चात अप्रार्थी सं. 1 के उपस्थित आकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 10/11/17 को अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नही बढाये जाने का आदेश पारित करने के संदर्भ मे प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। चूंकी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित आ चुकी है ऐसे मे प्रकरण को अनावश्यक लम्बित रखने का कोई औचित्य प्रतीत नही होने से प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनो उपस्थित पक्षो को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनवाई का अवसर प्रदान कर एक माह की अवधि मे गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। तब तक आदेश जेर अपील दिनांक 10/11/2017 की क्रियान्विति स्थगित रखी जाती है। तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी	